विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायतों का आयोजन पुन: प्रारंभ

drishtiias.com/hindi/printpdf/a-special-panchayat-of-denotified,-nomadic-and-semi-nomadic-tribes

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 31 अगस्त, 2021 को **विमुक्त जाति दिवस** (Vimukt Jati Diwas) पर **मध्य प्रदेश** में **विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति** (Denotified, Nomadic and Semi-nomadic tribes) **की विशेष पंचायत** आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर उनके विचारों और सुझावों के आधार पर **कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन** की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- इसका मुख्य उद्देश्य संबंधित वर्ग को अधिकाधिक लाभ मुहैया कराते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी क्रम में विभिन्न वर्गों की पंचायत का आयोजन पुन: शुरू कर **विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग की पंचायत** आयोजित की गई।
- उल्लेखनीय है कि **भारत के हृदय प्रदेश** में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के विकास तथा कल्याण हेतु मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 22 जून, 2011 द्वारा पृथक् **'विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग' (Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes Welfare Department)** का गठन किया गया था।
- मध्य प्रदेश की **51 जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित** किया गया है। इन जनजातियों की **प्रमुख समस्या** **शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक रूप से विपन्नता एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति** होने के कारण स्थायी आवास न होना है।
- इन जनजातियों की उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिये इन्हें एक स्थान पर आवासीय सुविधा देने हेतु **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अंतर्गत **प्रति हितग्राही 1.50 लाख रुपए तक का अनुदान** दिया जाता है।